

an>

Title : Papers laid on the Table of the House by Ministers / Members.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4417/17/21]

(3) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4418/17/21]

(5) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 के अंतर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021

जो 17 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 416(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4419/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग अध्यादेश, 2021 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 1687(अ) जो 23 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित शक्तियों और कृत्यों के अनुप्रयोग के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग अध्यादेश, 2021 के नाम से एक निकाय का गठन किया गया है ।

[Placed in Library, See No. LT 4420/17/21]

- (2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 और 25 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 4259(अ) जो 27 नवंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उसमें उल्लिखित संघटन के साथ 'पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए शीर्षस्थ समिति' के गठन के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 4421/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (दो) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4422/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, डॉ. भारती प्रवीण पवार जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

- (1) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दूसरा संशोधन विनियम, 2019 जो 9 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. मानक/एफएंडवीपी/अधिसूचना(07)/ एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दसवां संशोधन विनियम, 2020 जो 29 दिसंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधिसूचना/2010-एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पहला संशोधन विनियम, 2021 जो 4 मार्च, 2021

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधिसूचना/27/2010-एफएसएसएआई(ई) में प्रकाशित हुए थे ।

- (चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दूसरा संशोधन विनियम, 2021 जो 19 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. मानक/ओएंडएफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे ।
- (पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) सातवां संशोधन विनियम, 2020 जो 16 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. मानक/ओएंडएफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे ।
- (2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4423/17/21]

- (3) (एक) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए

विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4424/17/21]

...(व्यवधान)

-

-